

क्रमांक:- आर.एन.सी./2025/जीबी/1344-48

दिनांक:- 14/02/2025

कार्यालय आदेश

राजस्थान नर्सिंग कौंसिल की जीबी की बैठक दिनांक 22.01.2025 के ऐजेन्डा संख्या 20 के अन्तर्गत लिए गये निर्णय के अनुसार कौंसिल द्वारा अभ्यर्थी को अन्य राज्य में पंजीयन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है एवं अभ्यर्थी द्वारा संबंधित अन्य राज्य में पंजीयन नहीं कराया जाता है तो अन्य राज्य में पंजीयन नहीं होने की पुष्टि होने के पश्चात अभ्यर्थी का राजस्थान राज्य का पंजीयन यथावत रखा जायेगा। जिसके क्रम में अभ्यर्थी से न्यूनतम 100/-रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर उक्त आशय का शपथ पत्र नोटरी से सत्यापित करवाकर लिया जायेगा।
उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।



(जोईस कुरियन)

रजिस्ट्रार

राजस्थान नर्सिंग कौंसिल
जयपुर

क्रमांक:- आर.एन.सी./2025/जीबी/1344-48

दिनांक:- 14/02/2025

प्रतिलिपी :-

1. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, (ग्रुप-3), जयपुर।
2. श्रीमान निदेशक महोदय (जन. स्वा.) एवं पदेन अध्यक्ष, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर।
3. आई.टी. सलाहकार (अनुबन्ध) को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश को पोर्टल पर अपलोड करे।
4. कार्यालय प्रति।



रजिस्ट्रार

राजस्थान नर्सिंग कौंसिल
जयपुर